

## संचार माध्यम एवं महिला सशक्तीकरण का एक अध्ययन

नागेन्द्र वर्मा

शोधार्थी समाजशास्त्र

शासकीय टाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

### शोध सारांश –

ग्रामीण महिलाओं की प्रस्थिति में निरन्तर बदलाव के लिये संचार साधनों का बहुत बड़ा योगदान है और आने वाला समय भी निरन्तर विकास के लिये संचार की उपयोगिता को बढ़ती जायेगी। संचार वह साधन है जो महिलाओं के सर्वांगीण विकास में सहयोगी है। जैसे-जैसे संचार साधनों का विकास होता जायेगा महिलाओं की प्रस्थिति सुदृढ़ होती जायेगी। ग्रामीण महिलाओं के लिये संचार साधन आने वाले समय में वरदान साबित होगा।

**मुख्य शब्द – संचार, माध्यम, महिला, सशक्तीकरण ग्रामीण, प्रस्थिति आदि।**

### प्रस्तावना –

संचार माध्यम के प्रभाव से महिलाओं का कितना विकास हुआ, इसी सन्दर्भ में चर्चा करेंगे। महिला विकास का तात्पर्य महिलायें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक, शैक्षिक, वैज्ञानिक आदि क्षेत्रों में कितना सशक्त हुईं। संचार माध्यम इन ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने में क्या योगदान दिया। ग्रामीण महिलाओं को प्रत्येक स्तर पर संचार माध्यम सहयोग कर उनको विकास के पथ आगे ला रहा है।

**आक्सफोर्ड डिक्शनरी** में विकास के अर्थ को स्पष्ट करते हुये लिखा गया है कि 'एक उत्तरोत्तर फैलाव किसी वस्तु को स्पष्टता से सामने लाने वाली प्रक्रिया है।'

**गुन्नार मिर्डाल** ने अपनी पुस्तक 'एशियन ड्रामा' में लिखा है कि विकास का अर्थ आधुनिकीकरण के अर्थ को सामाजिक जीवन में उतारने से है। इस अर्थ में आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में तर्क बुद्धिपरकता की खोज ही विकास का आधार है।

महिला विकास के लिये विगत कुछ वर्षों से महिलाएँ व्यक्तिगत आन्दोलन करती चली आ रही है। इस विकास के आन्दोलन में महिलाएँ अकेली नहीं है संचार माध्यमों के सहयोग से पूरे विश्व भर की महिलायें एक मंच पर जुड़ रही है ताकि वे अपने सशक्तीकरण के लिये अपने प्रयासों को और तीव्र व विस्तृत कर सकें। महिलाओं के विकास के लिये आज ऐसे अनेक संगठन कार्यरत हैं चाहे गैर-सरकारी संगठन हो या सरकारी या बैंक व मजदूर संघ या महिलाओं के जन-आधारित सामाजिक आंदोलन हो। इन संगठनों का आपसी सहयोग, विचारों के आदान-प्रदान संचार के साधनों से ही होता है। एक संगठन से दूसरे संगठन तक जुड़ने का महत्त्वपूर्ण साधन संचार माध्यम है।

शहरी या ग्रामीण अंचलों में महिला विकास के लिये प्राथमिक स्तर पर महिलाओं को संगठित करना और उनका सशक्तीकरण करना आजकल क्षेत्र आधारित विकास कार्यक्रमों का एक प्रमुख कार्य है। महिलाओं को संगठित करने का एक अत्यंत लोकप्रिय तरीका है स्वयं सहायता समूहों का उद्भव और बृद्धि, महिलाओं के विकास के लिये एक उपयुक्त साधन है।

ग्रामीण महिलाओं के विकास में शिक्षा का महत्त्वपूर्ण योगदान है। शिक्षा मानव विकास के लिये अचूक हथियार के रूप में जाना जाता है। भारतीय समाज में शिक्षा प्राप्त करने के सन्दर्भ में कई तरह का भेदभाव पाया जाता है। भारतीय समाज में शिक्षा के दरवाजे सभी के लिये समान रूप से नहीं खुले थे। परम्परागत शिक्षा प्रणाली में निम्न जातियों एवं स्त्रियों के लिये शिक्षा

की कोई गुंजाइश नहीं थी। आधुनिक समाज में इस तरह के भेदभाव में काफी कमी आई है, इसके पीछे संचार साधनों की मत्वपूर्ण भूमिका है। संचार साधनों ने लोगों को जागरूक कर शैक्षिक स्तर के विकास के लिये योगदान किया है। **महात्मा गाँधी** के अनुसार 'यदि आप एक आदमी को शिक्षित करते हैं, तो मूल रूप में आप एक व्यक्ति को ही शिक्षित करते हैं, लेकिन जब आप एक महिला को शिक्षित करते हैं तो आप पूरे परिवार एवं समाज के साथ-साथ एक राष्ट्र को भी शिक्षित करते हैं।

महिला विकास पर भारत सरकार की नीति में स्वतंत्रता के बाद अनेक परिवर्तन हुए हैं। सबसे पहले उल्लेखनीय परिवर्तन पाँचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान आया जब महिलाओं के कल्याण से हटकर महिलाओं के विकास पर जोर देने की नीति अपनाई गई। आठवी योजना में पुनः विकास प्रक्रिया में महिलाओं को समान भागीदार बनाने पर जोर दिया गया। आज समावेशी विकास पर हमारा ध्यान केन्द्रित है। ऐसे में महिलाओं के सशक्तीकरण के प्रति हमारी जागरूकता में संचार माध्यमों के सहयोग से और वृद्धि हुई है। समाज के निचले स्तर से महिलाओं का सशक्तीकरण होना चाहिये और इसके लिये उनके प्रति व्यवहार में परिवर्तन के साथ-साथ आर्थिक एवं शैक्षिक के साथ मनोवैज्ञानिक स्तर पर समर्थ बनाने की आवश्यकता है, स्पष्ट है कि सभी समस्यायें असमानता के इर्द-गिर्द ही घूमती हैं। महिला विकास के लिये समाज में लैंगिक असमानता को जड़ से उखाड़ फेंकने की जरूरत है, साथ-ही-साथ पुरुषवादी मानसिकता से हटकर हमें महिलाओं का सम्मान एवं समानता का अधिकार देना चाहिये। महिला विकास से केवल महिलायें ही सशक्त नहीं होंगी बल्कि परिवार, गाँव एवं राष्ट्र सशक्त होगा। **स्वामी विवेकानंद** के अनुसार 'जब तक महिलाओं की स्थिति में सुधार नहीं होगा विश्व के कल्याण की कोई सम्भावना नहीं है। एक पक्षी के लिये एक पंख से उड़ना सम्भव नहीं है।

ग्रामीण महिलाओं के विकास के लिये महिलाओं को निर्णय लेने के प्रभावी अधिकार देना और आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ शैक्षणिक क्षेत्र में स्वतंत्रता का अधिकार देना चाहिये। भारत के साथ अधिकांश विकासशील देशों में महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा हेय दृष्टि से देखा जाता है। महिला-पुरुष के बीच भेदभाव को सामाजिक स्तर पर समाप्त करने के बाद ही हम महिला सशक्तीकरण की राह को सशक्त बना सकते हैं। महिलाओं को सशक्त एवं समर्थ बनाने के लिये उन्हें घर में अधिकार के साथ बाहर भी पुरुषों के समान अधिकार मिले, तभी महिला विकास की कल्पना को साकार रूप मिल सकेगा।

'देश के विभिन्न भागों में पंचायती राज पर हुये अध्ययन एवं प्रतिवेदन महिलाओं के प्रदर्शन एवं अनुभव को प्रदर्शित करते हैं। इससे इनकी नयी पहचान, मान्यता, विश्वास, प्रदर्शन एवं प्रभावी सहभागिता प्रदर्शित होती है। अब तक की प्रगति यह प्रदर्शित करती है। ग्रामीण महिलाओं में चेतना, जागरूकता, ज्ञान, विश्वास, आकांक्षाएँ स्व-बोध, सहभागिता, पंचायत एवं बाहरी नेतृत्व, पंचायतों एवं स्वयं पर पड़ने वाले प्रभावों के मामले में पंचायतीराज ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस प्रकार महिला सशक्तीकरण ने ग्रामीण समुदायों को भी सशक्त किया है। राजनीतिक प्रक्रिया और राजनीतिक संस्थाओं में महिला की भागीदारी से शासन की गुणवत्ता में भी सुधार आया है। पंचायती राज के माध्यम से हुये महिला सशक्तीकरण से ग्रामीण महिलायें अपने अधिकारों के प्रति सचेत हुई हैं। उनमें अन्याय और शोषण के विरुद्ध आवाज उठाने की हिम्मत बढ़ी है। उनके व्यक्तित्व में भी परिवर्तन आया है। महिलाओं में आत्मविश्वास एवं जोश बढ़ा है।

'महिलाओं को आर्थिक दृष्टिकोण से सबल बनाने के लिये केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा निरन्तर प्रयास किया जा रहा है। सरकार के इस प्रयास की सार्थकता भी सामने आ रही है। कल तक घर में कैद रहने वाली महिलायें आज समाज के विभिन्न क्षेत्रों में परचम लहरा रही हैं। स्वयं सहायता समूह का गठन कर शहर से लेकर गाँव तक अपनी साख को कायम करने में जुटी हैं। संचार माध्यम से महिलायें व्यवसाय के क्षेत्र में आगे आ रही हैं। केन्द्र सरकार ने स्वर्ण जयन्ती स्व रोजगार योजना के अलावा उग्रवाद प्रभावित जिलों में गरीबी उन्मूलन के लिये शुरु किये गये इस विशेष 'भ्रम' कार्यक्रम के तहत अब तक 6 हजार से ज्यादा स्वयंसहायता समूहों का गठन किया जा चुका है, जबकि 'कैल' के तहत पहले ही 29 हजार से अधिक समूहों का गठन

किया जा चुका है। समूह के माध्यम से महिलाओं का आर्थिक एवं सामाजिक दोनों स्तर पर विकास हो रहा है। महिला सहायता समूह सहबैंक सहबद्धता कार्यक्रम के तहत तीन लाख रुपये तक के ऋणों पर ब्याज सहायता देकर इन समूहों को, सात प्रतिशत वार्षिक दर पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही साथ समय पर ऋण चुकाने वाली महिला समूहों को तीन प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज सहायता भी दी जाती है।

इस प्रकार ग्रामीण महिलायें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्तर पर सशक्त हुई हैं। इस सशक्तीकरण के पीछे संचार साधनों का विशेष भूमिका है। संचार साधन ग्रामीण महिलाओं में तेजी से जागरूकता लाई है। केन्द्र एवं राज्य सरकार के माध्यम से संचालित योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ ग्रामीण महिलाओं को मिले इसके लिये संचार माध्यम विशेष प्रोग्राम के द्वारा महिलाओं के विकास एवं सशक्तीकरण में सक्रिय भूमिका निभाया है।

‘महिला समाज की एक अभिन्न अंग हैं। “जब एक पुरुष शिक्षित होता है, तो एक व्यक्ति शिक्षित होता है और जब एक नारी शिक्षित होती है, तो पूरा एक परिवार शिक्षित होता है।” प्रसंगवश वैदिक काल से ही हमारे समाज व परिवार को अपने कर्तव्यों एवं समर्पण भाव से मजबूत बनाने वाली देश की आबादी का आधा हिस्सा कहे जाने वाले समूह स्त्री की शिक्षा की स्थिति उत्साहवर्द्धक नहीं है। उनको कभी हमारे समाज ने अबला कहकर बहिस्कृत कर दिया, तो कभी पारिवारिक कार्यों एवं सामाजिक रुढ़ियों के चलते शिक्षा का मौका नहीं दिया गया। महिलाओं को केवल उपभोग एवं शोषण की वस्तु समझकर पुरुष पितृसत्तात्मक समाज इनको शिक्षा से वंचित करते रहे। जबकि तथाकथित अबलाएँ मौका मिलने पर सबला और सशक्त स्त्री का रूप धारण करके अपनी बौद्धिक शक्ति एवं सामाजिक चिंतन की एक विलक्षण प्रतिभा को समाज के सामने साक्ष्य के रूप में प्रतिष्ठित कर चुकी है।

अशिक्षित व्यक्ति प्रायः परिवर्तनों के प्रति उदासीन रहता है वह अपनी रूढ़िवादी मान्यताओं के प्रति विश्वस्त रहता है। सामाजिक और आर्थिक प्रगति तथा राष्ट्रीय एकीकरण के लिये शत-प्रतिशत साक्षरता आवश्यक है। आधुनिक जीवनशैली, कर्तव्य-दायित्वबोध, राष्ट्रीय चरित्र निर्माण, नैतिक मूल्यों का संरक्षण इत्यादि सभी के लिये शिक्षित होना आवश्यक है। सभी का सर्वांगीण विकास शिक्षा का मूलमंत्र है। लोकतांत्रिक प्रणाली में सभी का शिक्षित होना आवश्यक है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति महत्त्वपूर्ण है। जनगणना 2011 की रिपोर्ट से पता चलता है कि इस दशक में साक्षरता में तेजी से प्रसार आया है। शिक्षा के क्षेत्र में लिंग आधारित भेद-भाव कम हो रहा है।

शिक्षा की गुणवत्ता पाठ्यक्रम और कुशल शिक्षण पर निर्भर करता है। सूचना प्रौद्योगिकी में आई क्रान्ति, मोबाइल एप्लीकेशन और इंटरनेट के माध्यम से विडियो, अक्षर एवं आवाज तीनों माध्यमों में शिक्षा सामग्री तैयार कर सर्वसाधारण को उपलब्ध कराया जा रहा है। स्तरीय और आसानी से समझ में आने वाली और कुशल ट्रेनर्स द्वारा तैयार की गई शिक्षा सामग्री इंटरनेट के माध्यम से दूर-दराज तक पहुँचाया जा सकेगा। इस प्रकार संचार माध्यम वह संसाधन है, जो दूर-दराज तक स्तरीय एवं गुणवत्तापरक शैक्षणिक व्यवस्था कर रहा है, जिसमें ग्रामीण लोग आसानी से शिक्षा ग्रहण कर विकास के पथ पर अग्रसर है।

किसी भी देश की विकास सम्बन्धी सूचकांक को निर्धारित करने के लिये उद्योग, व्यापार, खाद्यान्न उत्पादन, शिक्षा इत्यादि के साथ-साथ उस देश की महिलाओं की प्रस्थिति का भी अध्ययन किया जाता है। आज महिलाएँ देश की विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में समान रूप से सहभागी बन रही हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सेवायें, आकिटेक्टर, इंजिनियर जैसे अनेक क्षेत्रों में महिलाओं की सहभागिता अप्रत्याशित तौर पर बढ़ रही है। कार्पोरेट सेक्टर में जहाँ दो दशक पहले तक पुरुषों का वर्चस्व था वहाँ आज महिलायें न केवल उच्च प्रबंधीय क्षमता का प्रदर्शन कर रही हैं बल्कि नेतृत्व भी कर रही हैं। सशक्तीकरण की दिशा में भारतीय महिलाओं का कदम अब पुरुषों के बैसाखी का मोहताज नहीं रहा। देश के पाँच बड़े बैंकों के शीर्ष पर महिलायें ही हैं। इन्होंने जिस तरह से अपने बैंकों के कारोबार को आगे बढ़ाते हुए बैंकों को सामाजिक सरोकारों से जोड़ा है वो वाकही

सराहनीय है। महिलायें तेजी से बेहतर फैसले ले रही हैं एक जमाने में आर्थिक और कारोबारी क्षेत्र में महिलाओं के क्षमता पर शक किया जाता था। लेकिन अब जब महिलायें सफलता की नई कहानियाँ लिख रही हैं, तो धारणाओं की पूरी तस्वीर बदल रही है।

संचार माध्यम समाज के विकास में बहुत सहायक है परन्तु महिला सशक्तीकरण के सन्दर्भ में बात करते समय संचार माध्यमों की सशक्त भूमिका को सर्वोपरि मानना होगा। आज समूचे विश्व में स्त्रियों का वर्चस्व बढ़ा है। शिक्षा, राजनीति, विज्ञान, कला, मनोरंजन आदि क्षेत्रों के अलावा अन्य क्षेत्रों में महिलायें अपने प्रतिभा को उजागर कर रही हैं। उनकी पारिवारिक, सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति में तेजी से हुआ परिवर्तन स्पष्ट दिखाई दे रहा है।

निःसंदेह हाल के दो दशकों में महिला हिंसा की घटनाओं में अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की गई है। परन्तु इसी अवधि में महिलाओं ने विश्व में कीर्तिमान भी स्थापित किया है, इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती है। महिला के प्रति हिंसा, यौन उत्पीड़न, दहेज प्रताड़ना जैसी घटनाओं का तेजी से दबाव हुआ है। महिलाओं में संचार माध्यमों ने वह चेतना जगाई है, जिसके कारण अब अत्याचार के खिलाफ ये मुखर होकर उसे रोक रही हैं।

महिलायें संवैधानिक दृष्टि से तो अधिकार सम्पन्न हैं, मगर यथार्थ में वे भेद-भाव, शोषण और उत्पीड़न का शिकार बनी हुई हैं। आज आवश्यकता है, स्त्रियों को उनके अधिकार दिलाने की, उन्हें शिक्षित, स्वावलम्बी, मजबूत और अधिकार चेतन बनाने की। सरकार द्वारा महिलाओं के कल्याण हेतु कई कानून बनाये गये परन्तु वे सभी कागजों में ही सिमट कर रह गये। जबकि इन कानूनों को जन-जन तक पहुँचाने की आवश्यकता है और दूरदर्शन, निजी चैनल एवं रेडियों के माध्यम से यह भलिभाँति सम्भव है और इन्हीं माध्यमों से महिलायें विवाह, दहेज, बलात्कार, सम्पत्ति अधिकार, समान वेतन, प्रसूति सूविधा आदि के सम्बन्ध में आवश्यक जानकारी एवं दिशानिर्देश प्राप्त कर सामाजिक व आर्थिक दृष्टि में सम्मानजनक स्थान पाने की कोशिश कर रही हैं।

वर्तमान में संचार माध्यम महिलाओं के सशक्तीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। बाल विवाह अधिनियम की बात करें या पत्नी के भरण-पोषण या विधवा गुजारा भत्ते की स्त्रियाँ जागरूक हो रही हैं। उन्हें महिला हिंसा कानून, समान वेतन कानून, गोद लेने सम्बन्धी कानून और सम्पत्ति में स्त्री के अधिकार की जानकारी सहित ऐसे अनेक उपमों का ज्ञान है, जो उनके जीवन को सही दिशा दे सकता है, अपने जीवन की विभिन्न समस्याओं को बेहतर ढंग से सुलझाने की क्षमता उनमें निरन्तर विकसित हो रही है। महिलायें प्रारम्भ से ही मेधा सम्पन्न थी, लेकिन उनमें जागरूकता का अभाव उनके शोषण का कारण बना। प्रैद्योगिकी के पक्ष का तेजी से विस्तार महिलाओं के विकास में सहयोगी भूमिका निभा रहा है। संचार माध्यम ने ग्रामीण समाज को तेजी बदला है। परम्परागत रीति रिवाज व कानूनों के स्थान पर आधुनिक वैश्विक संस्कृति का समामेलन हो रहा है, जिससे एक नयी सामाजिक व्यवस्था का निर्माण हो रहा है। नयी सामाजिक व्यवस्था में महिलाओं को प्रत्येक क्षेत्र में समान अधिकार प्राप्त है। संचार माध्यम ग्रामीण महिलाओं की प्रस्थिति में बदलाव लाने एवं उनको जागरूक करने में सहयोगी भूमिका निभा रहा है। संचार माध्यम ने महिलाओं के विकास में क्या भूमिका निभाई इसी सन्दर्भ में ग्रामीण परिवेश में रहने वाली उत्तरदात्रियों से विकास सम्बन्धित प्रश्न पूछे गये जिससे महिला विकास एवं सशक्तीकरण हुआ।

### **शोध निष्कर्ष –**

अतः निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि ग्रामीण महिलाओं की प्रस्थिति में बदलाव व विकास के साथ सशक्तीकरण में संचार साधन भविष्य में भी वरदान साबित होगा।

अतः पश्चिमीकरण, उदारीकरण ने महिलाओं की प्रस्थिति में लगातार बदलाव किया, लेकिन ग्रामीण महिलाओं को विकास की दिशा में तेजी से अग्रसर करने में संचार साधनों का सबसे बड़ा योगदान है। संचार साधन ने महिलाओं का

राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक के साथ मनोवैज्ञानिक स्तर पर सशक्त कर विकास के पथ पर अग्रसर किया है। संचार किसी एक क्षेत्र में नहीं बल्कि प्रत्येक क्षेत्र में सहयोग दे रहा है, इसका महिलाओं पर प्रत्यक्ष एवं परोक्ष प्रभाव पड़ा है। महिलाओं को सशक्त करने के लिये यह अनिवार्य है कि जनमाध्यम उन्हें वित्तीय रूप से सशक्त बनाने के लिये विभिन्न प्रकार के व्यवसाय कौशलों को सीखने, कर्ज लेने आदि के बारे में जानकारीयों उपलब्ध कराये। वित्तीय क्षेत्र में सफल महिलाओं के अनुभव को साक्षात्कार एवं वृत्तचित्रों के माध्यम से दिखाकर दूसरी महिलाओं को प्रेरित करें।

### सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

- [1]. चोपड़ा, लक्ष्मिदेव : जनसंचार का समाजशास्त्र, आधार प्रकाशन, पंचकूला, 2002.
- [2]. सिंह, ओमप्रकाश : संचार के मूल सिद्धान्त, क्लासिकल पब्लिशिंग कम्पनी, नई दिल्ली, 2002.
- [3]. सिंह, ओम प्रकाश : संचार माध्यमों का प्रभाव, क्लासिकल पब्लिशिंग कम्पनी, नई दिल्ली, 1993.
- [4]. मुकर्जी, रवीन्द्रनाथ : सामाजिक शोध व सांख्यिकी, विवेक प्रकाशन, दिल्ली, 2009.
- [5]. सारस्वत, डॉ. ऋतु, 2017, स्त्री विहित परिवार हो तो क्या पुरुष अस्तित्व बनेगा, राजस्थान पत्रिका, जयपुर।
- [6]. लिमये, संध्या, 2017, निशक्तजनों का सशक्तीकरण, योजना, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई-दिल्ली।
- [7]. आयोजन विभाग, 2016,2017, आर्थिक समीक्षा, अर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, योजना भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर।
- [8]. नावरिया, महेश, 2016 पंचायतीराज एवं महिला विकास, (उभरते प्रतिमान), रितू पब्लिकेशन्स, प्लॉट नं. 28, सीतारामपुरी, आमेर रोड, जयपुर।
- [9]. अजिज, एन.पी. अब्दुल, 2015, भारत में महिला-सशक्तीकरण, अनमोल प्रकाशन, प्राईवेट लिमिटेड, नई दिल्ली।
- [10]. शर्मा, जी.एल. 2015, सामाजिक मुद्दे, रावत पब्लिकेशन, जयपुर।